

न्यायालय: द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म.प्र.)

(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)

नियमित व्यवहार अपील क्र.-32/16

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 05.10.2016

महेन्द्र सिंह पुत्र लोटन सिंह गुर्जर आयु 68 वर्ष  
जाति गुर्जर निवासी ग्राम सिरसौद परगना गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0 .....अपीलार्थी/वादी

विरुद्ध

1. रामस्वरूप पुत्र हुब्बालाल आयु 58 वर्ष निवासी  
ग्राम सिरसौद परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
2. म0प्र0 राज्य द्वारा कलेक्टर भिण्ड म0प्र0  
..... प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

.....  
न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद जिला भिण्ड (श्री पंकज शर्मा)  
के मूल व्यवहार वाद क्रमांक 59ए/15 में घोषित निर्णय दिनांक 09.09.2016 से  
उद्भूत यह नियमित सिविल अपील।

.....  
अपीलार्थी द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी द्वारा श्री के.पी. राठौर अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी क्रमांक 02 अनु0 पूर्व से एकपक्षीय।  
.....

—: निर्णय :-

( आज दिनांक 25.09.17 को घोषित)

1. अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 के विरुद्ध यह अपील  
न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद जिला भिण्ड (श्री पंकज शर्मा) के  
मूल व्यवहार वाद क्रमांक 59ए/15 उनवान महेन्द्र सिंह बनाम रामस्वरूप एवं अन्य में  
घोषित निर्णय दिनांक 09.09.2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके  
अनुसार अपीलार्थी/वादी द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 632 रकवा 0.33, 633 रकवा 0.12,  
634 रकवा 0.50, 636 रकवा 0.13, 682 रकवा 0.43, 683 रकवा 0.50, 684 रकवा 0.  
55 एवं 685 रकवा 0.09 हैक्टे0 स्थित ग्राम सिरसौद परगना गोहद जिला भिण्ड के  
संबंध में प्रस्तुत किया गया स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद निरस्त कर  
दिया है।
2. अपीलार्थी/वादी के विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह अभिवचन

रहे हैं कि उपरोक्त भूमि का वादी स्वामी एवं आधिपत्यधारी है, उक्त सर्वे नंबर एक दूसरे के खेत से लगे हुए हैं। उक्त भूमि के पूर्व दिशा में बलपूर्वक कब्जा करने की प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा धौंस दी गई है। उक्त भूमि प्रकरण में विवादित है, जिसे इस निर्णय में आगे के पदों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जाएगा। वादी के अभिवचन के अनुसार दिनांक 30.05.15 को प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा विवादित भूमि के पूर्व दिशा की भूमि को बलपूर्वक बेचने की धौंस दी गई। पूर्व में एक बार 45ए/11 ई.दी. उनवान रामस्वरूप बनाम महेन्द्र सिंह एवं में प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा अपने सर्वे नंबर 641 का विवाद बताकर दावा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन को दिनांक 24.10.10 को नॉटप्रेस करते हुए खारिज कराया था। उसके बाद धोखा देकर स्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन पर तर्क कर दिनांक 19.01.12 को स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराई गई। उसके बाद उक्त दावा सिद्ध न पाते हुए खारिज किया गया। उक्त आधारों पर स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता की प्रार्थना की गई।

3. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 02 म0प्र0 शासन को औपचारिक पक्षकार बनाया गया, उसकी ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से प्रतिवादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादी के अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्ख्यान किया गया और यह अभिवचन किया गया कि वादी कि उक्त विवादित भूमि की पूर्व दिशा की ओर प्रतिवादी क्रमांक 01 के स्वामित्व एवं आधिपत्य का खेत सर्वे क्रमांक 641 रकवा 1.18 हेक्टे0 है, जिसके कुछ अंशभाग पर वादी ने अपने भाई के साथ मिलकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। जिसके संबंध में पैमाइश कराने पर प्रतिवादी की उक्त भूमि में 0.37 हेक्टे0 पर वादी का कब्जा पाया गया था, जो कि अवैध रूप से अतिक्रामक के रूप में है। जिसके संबंध में प्रतिवादी ने सक्षम न्यायालय तहसीलदार के समक्ष धारा-250 म0प्र0 भू-राज्य संहिता का आवेदन प्रस्तुत किया है। दिनांक 30.05.15 को वादी को कोई भी वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वादी ने पूर्व दिशा की ओर की भूमि को विवादित बताया है, वह उसके स्वामित्व की नहीं है। वाद निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।
5. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्न निर्मित किये जाकर उनके निष्कर्ष निम्नानुसार उनके समक्ष अंकित किये गये:-

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1. क्या वादी वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 632 क्षेत्रफल 0.33 सर्वे क्रमांक 633 क्षेत्रफल 0.12 सर्वे क्रमांक 634 क्षेत्रफल 0.50 सर्वे क्रमांक 636 क्षेत्रफल 0.13 सर्वे क्रमांक 682 क्षेत्रफल 0.43 सर्वे क्रमांक 683 क्षेत्रफल 0.50 सर्वे क्रमांक 684 क्षेत्रफल 0.55, सर्वे क्रमांक 685 क्षेत्रफल 0.09 स्थित ग्राम सिरसौद, तहसील गोहद, का स्वामी एवं आधिपत्यधारी है ?	प्रमाणित ।
2. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है ?	अप्रमाणित ।
3. क्या वादी द्वारा वाद का समुचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ?	मूल्यांकन पर्याप्त न्याय शुल्क अपार्याप्त ।
4. अंतिम निष्कर्ष एवं व्यय	वाद निर्णय के पद क्र० 18 के अनुसार अप्रमाणित पाये जाने से निरस्त किया गया ।

6. अपीलार्थी/वादी की ओर से अपील एवं अंतिम तर्क में यह आधार लिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की थीं, जिसके आधार पर वादी विवादित भूमि का रिकॉर्डेड भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी होना सिद्ध हुआ था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने यह मान्य नहीं किया कि वादी सर्वे क्रमांक 633 एवं 634 का भूमि स्वामी है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्य की ओर ध्यान न देते हुए वादप्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 का गलत रूप से निष्कर्ष निकाला है। वादी के सर्वे नंबर की पूर्व दिशा में प्रतिवादी के कहे अनुसार सर्वे नंबर 638 शासकीय नंबर है। उसके बाद सर्वे नंबर 641 प्रतिवादी रामस्वरूप का है। इस प्रकार से प्रतिवादी द्वारा पूर्व में न्यायालय को गुमराह करते हुए दावा पेश किया था, जिसमें गलत रूप से स्थगन प्राप्त किया था और स्थगन की आड़ में कुछ दिन प्रकरण चलाते हुए स्वयं दावा खारिज कराया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.16 विधिविधान के विपरीत होने से काबिले निरस्ती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 20/-रुपए कम कोर्टफीस अदा करना बताया है। इस कारण 20/-रुपए की कोर्टफीस इस अपील में पेश कर दी गई है। उक्त आधारों पर अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.16 को अपास्त करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता की प्रार्थना की गई है।

7. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 की ओर से मौखिक रूप से तर्क करते हुए

व्यक्त किया गया है कि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उचित रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

8. इस अपील के विधिवत् निराकरण हेतु निम्न लिखित बिन्दु विचारणीय है:-
1. क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 के द्वारा विवादित भूमि के पूर्व दिशा की भूमियों पर बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी वादी को दी गई और क्या प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा विवादित भूमि में वादी के कब्जे में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है।
  2. क्या वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्याय शुल्क अदा किया गया है ?
  3. क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.2016 स्थिर रखे जाने योग्य है या निर्णय/डिक्री में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार है ?

**—:सकारण निष्कर्ष:—**

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 :-**

9. विचारण/अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा-10 में यह मान्य किया है कि वादी महेन्द्र वा0सा0-01 ने यह बताया है कि सर्वे क्रमांक 641 के पश्चिम दिशा की भूमि शासकीय है और शासकीय भूमि पर ही दावा प्रस्तुत किया है। सर्वे क्रमांक 632, 633 एवं 634 का कोई विवाद नहीं है और वह खेतों से पूर्व दिशा की ओर लगे हुए शासकीय सर्वे क्रमांक को अपना बनाना चाहता है। वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से भी ऐसा ही स्पष्ट है। विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा यह मान्य किया गया है कि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अक्स की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0डी0-01 से स्पष्ट है कि प्रतिवादी रामस्वरूप की भूमि से वादी की अन्य कोई वादग्रस्त भूमि जुड़ी हुई नहीं है अर्थात् वादी का उसकी भूमि सर्वे क्रमांक 633 एवं 634 की पूर्व दिशा संबंधी कोई विवाद प्रतिवादी रामस्वरूप से नहीं है।
10. प्रतिवादी रामस्वरूप शर्मा प्र0सा0-01 ने यह बताया है कि उसकी सर्वे क्रमांक 641 रकवा 1.18 हेक्टे0 भूमि है, जिसका वह स्वामी है। जिसकी पश्चिम दिशा की ओर सर्वे क्रमांक 638 लगा हुआ है। जो कि शासकीय निस्तार की चरनोई है। जिस पर पशु चरते हैं। वादी ने अपने भाई रामनरेश के साथ मिलकर बलपूर्वक उसके स्वामित्व के खेत सर्वे क्रमांक 641 के अंश भाग पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है।



11. प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्र0डी0-01 लगायत प्र0डी0-06 की प्रमाणित प्रतिलिपियों का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि सर्वे क्रमांक 641 रकवा 1.18 हेक्टे0 पर प्रतिवादी रामस्वरूप का नाम भूमिस्वामी एवं कब्जेदार के रूप में दर्ज है एवं सर्वे क्रमांक 638 रकवा 0.330 हेक्टे0 शासकीय भूमि होकर चरनोई की भूमि दर्ज है। सीमांकन रिपोर्ट प्र0डी0-02, पंचनामा प्र0डी0-03 एवं अक्स नक्शा प्र0डी0-04 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 25.05.15 को अधीक्षक भू अभिलेख जिला भिण्ड के द्वारा प्रतिवादी की भूमि सर्वे क्रमांक 641 एवं उससे लगी हुई भूमियों का सीमांकन किया गया। उक्त सीमांकन तहसीलदार गोहद के प्रकरण क्रमांक 139/12.05.15 में तहसीलदार के आदेश से कराया गया है।
12. अक्स नक्शा प्र0डी0-04 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अधीक्षक भू अभिलेख के द्वारा मुश्तकिल बिन्दु ए बनाकर सीमांकन प्रारंभ किया गया है। उक्त सीमांकन की रिपोर्ट प्र0डी0-02 तहसीलदार गोहद को प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार सर्वे क्रमांक 641 के बिन्दु एल, के, जे, आई, एच पर वादी महेन्द्र सिंह एवं उसके भाई रामनरेश के द्वारा कब्जा होना बताया गया है। उक्त भाग 0.37 हेक्टे0 है। प्र0डी0-04 की फील्डबुक से भी प्रकट है कि सर्वे क्रमांक 641 के संपूर्ण रकवे में से लगभग 1/3 भाग पर वादी पक्ष का कब्जा है। प्र0डी0-04 की फील्डबुक अक्स नक्शा एवं प्र0डी0-01 के प्रमाणित नक्शे का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि सर्वे क्रमांक 641 के पश्चिम दिशा की ओर सर्वे क्रमांक 633 एवं 634 है। उसी से लगा हुआ नीचे की ओर अर्थात् उत्तर दिशा की ओर सर्वे क्रमांक 638 है जो सर्वे क्रमांक 641 के पश्चिम दिशा में है अर्थात् वादी के सर्वे नंबर 634 एवं 635 तथा प्रतिवादी के सर्वे नंबर 641 के बीच में शासकीय सर्वे नंबर 638 है।
13. जिसके बारे में महेन्द्र सिंह वा0सा0-01 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-04 में यह स्वीकार किया है कि सर्वे क्रमांक 641 प्रतिवादी रामस्वरूप के स्वामित्व का खेत है। परंतु पैरा-05 में वह यह कहता है कि सर्वे क्रमांक 634 एवं 635 से पूर्व दिशा की ओर लगा हुआ सर्वे क्रमांक 641 नहीं है। स्पष्ट है कि उसकी यह साक्ष्य प्र0डी0-01 एवं प्र0डी0-04 के अक्स नक्शा एवं वास्तविकता से परे है क्योंकि प्र0डी0-01 एवं प्र0डी0-04 के अनुसार सर्वे क्रमांक 633 एवं 634 के पूर्व दिशा में प्रतिवादी रामस्वरूप का सर्वे नंबर 641 ही है। जिससे की यह प्रकट प्रकट है कि वादी अपने व प्रतिवादी के खेतों की सही स्थिति नहीं बता रहा है।
14. महेन्द्र सिंह वा0सा0-01 ने पैरा-06 में यह स्पष्ट कर दिया है कि सर्वे क्रमांक 632, 633 एवं 634 का कोई विवाद नहीं है। वह और आगे स्पष्ट करता है कि वह अपने खेतों से लगे हुए पूर्व दिशा की ओर शासकीय नंबर को अपना बनाना

चाहता है अर्थात वादी का आशय यह है कि वह सर्वे क्रमांक 638 के अपना बनाना चाहता है। उसने यह भी बताया है कि वादग्रस्त सर्वे क्रमांक 639 एवं 640 पर दावा प्रस्तुत किया है। फिर यह स्वीकार करता है कि वह सर्वे क्रमांक 639 एवं 640 का मालिक नहीं है। स्पष्ट है कि वादी ने सर्वे क्रमांक 639 एवं 640 के संबंध में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार उसकी साक्ष्य उसके अभिवचनों के अनुरूप ही नहीं है अर्थात वह अभिवचनों को प्रमाणित नहीं कर सका है।

15. सर्वे क्रमांक 638 के संबंध में भी विवाद नहीं है अर्थात जिन सर्वे क्रमांक के संबंध में विवाद होना वादी बताता है उसकी कोई साक्ष्य नहीं दी है और जिन सर्वे नंबरों के संबंध में कोई दावा पेश नहीं है और कोई अभिवचन नहीं है उसके संबंध में यह साक्ष्य दे रहे हैं कि वह उसने उन सर्वे नंबरों के संबंध में दावा पेश किया है। इस प्रकार वाद कारण उत्पन्न होना भी प्रकट नहीं होता है। अभिलेख पर आई समस्त सामग्री एवं साक्ष्य से स्पष्ट है कि वास्तव में प्रतिवादी के ही सर्वे क्रमांक 641 रकबा 1.180 हेक्टे0 में से 0.37 हेक्टे0 की भूमि पर वादी का अवैध रूप से कब्जा है और वास्तव में वादी का आशय विवादित भूमि से इसी भूमि के संबंध में है। परंतु यह विवादित भूमि जिसे प्र0डी0-04 के अक्स नक्शे में एल, के, जे, आई, एच, से प्रदर्शित किया गया है, प्रतिवादी रामस्वरूप का है, जिसके संबंध में वादी के पक्ष में न तो स्वत्व की घोषणा की जा सकती है और न ही कोई स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है।

16. अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय के पैरा-12 में यह मान्य किए जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है कि प्रतिवादी की भूमि सर्वे क्रमांक 641 वादी की वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 633 एवं 634 के पूर्व दिशा में स्थित है और इससे यह भी प्रकट होता है कि स्वयं वादी ने प्रतिवादी की भूमि पर कब्जा कर रखा है। इसी प्रकार विचारण/अधीनस्थ ने निर्णय के पैरा-15 में यह निष्कर्ष दिए जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है कि वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित वादी के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है।

### विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2:-

17. अपीलार्थी/वादी ने अपने अपील मेमो की आपत्ति क्रमांक 04 में यह व्यक्त किया है कि उसे यथासमय यह नहीं बताया गया था कि 20/-रुपए कोर्ट फीस अदा करना है। जबकि वह 20/-रुपए कोर्ट फीस अदा करने को तैयार था। उसके द्वारा अपील में कोर्ट फीस की पूर्ति करते हुए अपील पेश की गई है। अपीलार्थी की

ओर से यह चुनौती नहीं दी गई है कि विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है। चूंकि अपीलार्थी/वादी के द्वारा शेष 20/-रुपए का न्याय शुल्क अदा किया जा चुका है। तब ऐसी स्थिति में न्याय शुल्क अदायगी की कार्यवाही शेष नहीं रहती है।

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक-03:-**

18. इस प्रकार अपीलार्थी/वादी के द्वारा जो आधार लिए गए हैं वह अभिलेख पर आई साक्ष्य के अनुसार प्रमाणित नहीं होते हैं। जहां तक कि स्वत्व की घोषणा का प्रश्न है, वादी के द्वारा वादपत्र के शीर्षक वाद को स्थाई निषेधाज्ञा का होना बताया है और उसके अनुसार ही न्याय शुल्क अदा किया गया है। प्रकरण में कोई वादकारण भी उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में वादकारण प्रकट न होने से स्वत्व की घोषणा नहीं की जा सकती है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वादी यह प्रमाणित करने में असफल प्रतिवादी क्रमांक 01 रामस्वरूप के द्वारा विवादित भूमि में वादी के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है, अपितु यह प्रकट हुआ है कि वादी का ही प्रतिवादी की भूमि के अंश भाग पर अवैध आधिपत्य है।
19. अतः ऐसी स्थिति में विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा विवादित भूमि में वादी के अधिकारों में अवैध रूप से हस्तक्षेप किए जाने या कोई वादकारण उत्पन्न होना प्रमाणित नहीं मानते हुए तथ यह मानते हुए कि वादी अपने वाद को प्रमाणित करने में असफल रहा है। उक्त निष्कर्ष देकर कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की है। इस प्रकार उक्त आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.16 किसी वैधानिक त्रुटि से ग्रसित होना प्रकट नहीं होता है।
20. इस कारण विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.09.16 में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण का विधिवत् अवलोकन कर साक्ष्य का उचित मूल्यांकन एवं विश्लेषण करते हुए वादप्रश्न क्रमांक 02 पर जो निष्कर्ष दिया है। वह त्रुटिपूर्ण हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। विद्वान विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित आलोच्य निर्णय के द्वारा अपीलार्थी/वादी के स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को निरस्त करने की जो आज्ञा दी गई है। वह हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है।
21. तदनुसार अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जाकर विचारण/अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय/डिक्री दिनांक 09.09.16 की पुष्टि की जाती है।

22. उभय पक्ष इस अपील का व्यय अपना-अपना वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क 1,000/-रुपये लगाया जावे।

23. इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

निर्णय न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(मोहम्मद अजहर)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अजहर)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)